भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 372

बुधवार, 6 फरवरी, 2019/17 माघ, 1940 (शक)

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई.पी.एफ.ओ.) के रोजगार संबंधी आंकड़े

372. श्री विशम्भर प्रसाद निषाद:
श्रीमती छाया वर्मा:
क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई.पी.एफ.ओ.) के सितंबर, 2017 से मई, 2018 के बीच प्रस्तुत किए गए आंकड़ों की समीक्षा के बाद उन आंकड़ों में 12.4 प्रतिशत की कमी आई है;

(ख) क्या इससे यह प्रतीत हो रहा है कि सरकार की रोजगार संबंधी आंकड़ों में हेरफेर करके उसे बढ़ाचढ़ाकर दिखाया जा रहा है;

(ग) मई, 2018 के बाद, ईपीएफओ के रोजगार संबंधी आंकड़े क्या हैं; और

(घ) विगत पांच वर्षों के दौरान ई.पी.एफ.ओ. के रोजगार के वर्ष-वार आंकड़े क्या हैं, और वर्तमान समय में देश में कितनी जनसंख्या बेरोजगार है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) अप्रैल, 2018 से अपने वेब पोर्टल epfindia.gov.in के माध्यम से अपने अभिदाताओं की महीने-वार अनंतिम नेट नामांकन आंकड़े प्रकाशित कर रहा है। ये आंकड़े सितम्बर, 2017 से और इसके बाद से जारी किए जा रहे हैं। ईपीएफओ आंकड़े कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध (ईपीएफ एवं एमपी) अधिनियम, 1952 के प्रावधानों तथा इसके अधीन बनाई गई स्कीमों के अनुसार पंजीकृत स्थापनाओं के नियोक्ताओं द्वारा समय-समय पर अभिदाताओं से संबंधित फाईल की गई विवरणियों के आधार पर हैं। इस स्कीम में विवरणियों को लगातार फाइल करने का उपबंध है, इसलिए इन आंकड़ों को फाइल की गई विवरणियों के आधार पर हर महीने तर्कसंगत/संशोधित किया जाता है। आंकड़ों में संशोधन प्रक्रिया का एक हिस्सा है। आंकड़ों को प्रकाशित करते समय ईपीएफओ ने हमेशा यह अस्वीकरण दिया है कि आंकड़े अनंतिम हैं क्योंकि अभिदाताओं के रिकार्ड का अद्यतन एक सतत प्रक्रिया है।

(ग): पेरोल आंकड़ों को ईपीएफओ की वेबसाईट पर सितम्बर, 2017 एवं उसके बाद से हर महीने की 20 तारीख को अपलोड किया जा रहा है। 20 जनवरी, 2019 को अपलोड की गई नवीनतम पेरोल रिपोर्ट में सितम्बर, 2017 से नवम्बर, 2018 की अवधि के आंकड़े भी शामिल हैं। कथित रिपोर्ट की प्रति अनुबंध 'क' पर है।

(घ): ईपीएफओ अपने पेरोल आंकड़ों को सितम्बर, 2017 एवं उसके बाद से प्रकाशित कर रहा है। नवीनतम प्रकाशन में सितम्बर, 2017 से नवम्बर, 2018 तक के महीने-वार आंकड़े शामिल हैं। ये आंकड़े अनुबंध- 'क' में दिए गए हैं:

इसके अलावा ईपीएफओ देश में बेरोजगारी पर आंकड़े नहीं रखता है।

* *****

अनुबंध

"कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई.पी.एफ.ओ.) के रोजगार संबंधी आंकड़ों" के संबंध में श्री विशम्भर प्रसाद निषाद और श्रीमती छाया वर्मा द्वारा पूछे गए दिनांक 06.02.2019 के लिए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 372 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

नेट पेरोल आंकड़े ईपीएफओ								
ईपीएफओ रिकॉर्ड के अनुसार आयु समूह में नेट पेरोल का अनंतिम अनुमान								
माह/आयु वर्ग	18 से कम	18-21	22-25	26-28	29-35	35 से अधिक	कुल	स्थापनाएं जो महीने में पहली ईसीआर दे रही हैं
सितम्बर-17	5925	151323	103919	20029	23831	12430	317457	5910
अक्टूबर-17	5310	119980	75397	11922	10039	97	222745	4851
नवम्बर-17	7173	200560	142255	40716	54923	47983	493610	6238
दिसम्बर-17	6435	164913	100323	18230	13124	-23024	280001	5271
जनवरी-18	4955	150684	127247	41271	59082	52823	436062	5082
फरवरी-18	5124	131726	112193	33112	43793	30150	356098	5199
मार्च-18	7547	128730	48467	-18251	-42193	-68469	55831	4344
अप्रैल-18	10905	184586	157335	63788	94884	83976	595474	5017
मई-18	10715	237576	139672	41163	50969	33323	513418	6326
जून-18	9336	250873	179746	61781	85861	63592	651189	5421
जुलाई-18	8599	257089	208112	69574	100161	87657	731192	4871
अगस्त-18	6360	209740	170583	53448	71499	66001	577631	4650
सितम्बर-18	6958	235061	203322	81773	105463	88981	721558	3715
अक्टूबर-18	5224	200580	193939	78590	101259	86845	666437	3540
नवम्बर-18	6558	218346	203154	84076	114085	105864	732083	2220

टिप्पणियां:

1. आंकड़े अनंतिम है क्योंकि कर्मचारियों के रिकॉर्ड का अद्यतन एक सतत प्रक्रिया है और इनका आगामी महीनों में अद्यतन हो जाता है।

2. यह ईपीएफओ के तहत पंजीकृत नए सदस्यों का आयु-समूह वार डेटा है, जहां विशिष्ट महीने के दौरान पहला गैर-शून्य अंशदान प्राप्त होता है।

3. प्रत्येक आयु-वार वर्ग के लिए, ईपीएफओ के रिकॉर्ड के अनुसार नए नामांकित, बाहर निकाले गए और महीने के दौरान फिर से जुड़ने वाले सदस्यों की शुद्ध संख्या अनुमानित है।

4. अनुमानों में अस्थायी कर्मचारी शामिल हो सकते हैं जिनका अंशदान पूरे वर्ष के लिए निरंतर नहीं रहा है।

5. सदस्यों का आंकड़ा विशिष्ट आधार पहचान से जुड़ा हुआ है।

6. ईपीएफओ भारत में संगठित / अर्ध संगठित क्षेत्र में श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा निधि का प्रबंधन करता है

7. ईपीएफओ में 6 करोड़ से अधिक सक्रिय सदस्य हैं (वर्ष के दौरान कम से कम एक महीने का योगदान)।

8. प्रतिष्ठान जो उस विशिष्ट महीने में अपना पहला ईसीआर (इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न) भेजते हैं।

जारी करने की अगली तारीख: 20 फरवरी,2019

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 377

बुधवार, 06 फरवरी, 2019 /17 माघ, 1940 (शक)

कर्मचारी भविष्य निधि (ई.पी.एफ.) पर रिटर्न को बढ़ाया जाना

377. श्री नारायण लाल पंचारिया:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि (ई.पी.एफ.) पर लाभ की दर को बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ई.पी.एफ. योजना के तहत सम्मिलित कर्मचारियों को उच्चतर लाभ उपलब्ध करवाने में सफल हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): बेहतर रिर्टन पाने के उद्देश्य से, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी), कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) ने वित्तीय वर्ष 2015-16 से इक्विटीज तथा संबंधित निवेशों में निवेश की अनुमति दे दी है। प्रारम्भ में, वृद्धि निधियों का केवल 5 प्रतिशत इक्विटीज तथा संबंधित निवेशों में निवेश किया, परन्तु धीरे-धीरे इसे बढ़ाकर वर्ष 2016-17 में 10 प्रतिशत तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 में 15 प्रतिशत कर दिया। तदनुसार, वर्तमान में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) वृद्धि निधियों का लगभग 15 प्रतिशत इक्विटीज तथा संबंधित निवेशों में निवेश कर रहा है। फिलहाल, ईपीएफओ एक्सचेंज ट्रेडिड फंड्स (ईटीएफ) में अंशदान के माध्यम से इक्विटिज में निवेश करता है।

(ग) और (घ): ईपीएफ के लिए घोषित ब्याज दरें तुलना योग्य योजनाओं/निधियों यथा जीपीएफ, पीपीएफ इत्यादि से बेहतर/अधिक रही हैं। वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए जीपीएफ/पीपीएफ तथा ईपीएफ हेतु घोषित ब्याज दरों का तुलनात्मक चार्ट निम्नानुसार है:-

वर्ष	तिमाही	जीपीएफ	पीपीएफ	ईपीएफ
2017-18	अप्रैल-जून,2017	7.9%	7.9%	8.55%
	जुलाई-सितम्बर, 2017	7.8%	7.8%	
	अक्तूबर-दिसम्बर, 2017	7.8%	7.8%	
	जनवरी-मार्च, 2018	7.6%	7.6%	

****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1167

बुधवार, 13 फरवरी, 2019/24 माघ, 1940(शक)

पीएमआरपीवाई के अंतर्गत शामिल ईपीएफओ योजनाएं

1167. श्रीमती सरोजिनी हेम्ब्रम:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत चार वर्षों के दौरान सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से वर्ष-वार और योजना-वार कितने-कितने कर्मचारियों/कामगारों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के दायरे में शामिल किया गया है;

(ख) इस अवधि के दौरान इनमें से कितने कामगारों को प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) के तहत शामिल किया गया है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): दिनांक 09.08.2016 से भारत सरकार ने प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) आरंभ किया है जिसका उद्देश्य नियोक्ताओं को बेरोजगार व्यक्तियों की भर्ती करने हेतु प्रोत्साहित करना है तथा अनौपचारिक कर्मचारियों को औपचारिक भी बनाना है। दिनांक 05.02.2019 की स्थिति के अनुसार, पीएमआरपीवाई योजना के अंतर्गत लाभान्वित कुल कर्मचारियों की संख्या, आरंभ से 10606428 है। वर्ष-वार ब्यौरा निम्नलिखित है:-

वर्ष	**लाभान्वित कर्मचारी**
2016-17	33031
2017-18	3025084
2018-19 (05.02. 2019 की स्थिति के अनुसार)	7548313
कुल	10606428

******

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1184

बुधवार, 13 फरवरी, 2019 / 24 माघ, 1940 (शक)

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई.पी.एफ.ओ.) में संवर्ग पुनर्संरचना का कार्यान्वयन

1184. श्री टी. रतिनावेल:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हाल ही में हुए संवर्ग पुनर्संरचना कार्यान्वयन के बाद और उससे पहले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई.पी.एफ.ओ.) के कर्मचारियों और अधिकारियों की संवर्ग-वार संख्या क्रमश: कितनी-कितनी है;

(ख) मौजूदा कर्मचारियों/अधिकारियों की रिक्त पदों पर भर्ती/पदोन्नति हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सहायक भविष्य निधि आयुक्त (ए.पी.एफ.सी.) ग्रेड के कुछ लोगों को, उनकी अर्हक सेवा में छूट देने के बाद उन्हें क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के रूप में पदोन्नति दी गई थी;

(घ) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई.पी.एफ.ओ.) अन्य ग्रेडों को भी समान छूट देकर रिक्त पदों को भरने का विचार रखता है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो, इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ङ): सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1185

बुधवार, 13 फरवरी, 2019 / 24 माघ, 1940 (शक)

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई.पी.एफ.ओ.) में कर्मचारियों की कमी

1185. श्री टी. रतिनावेल:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पूरे देशभर में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई.पी.एफ.ओ.) के लगभग 250 कार्यालय हैं, जिनमें से अधिकतर, कार्यालय कर्मचारियों की कमी का सामना कर रहे हैं, जिसके कारण अभिदाताओं को उनके दावों और शिकायतों के समय से निपटान करने में अनावश्यक रूप से कठिनाई हो रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि वर्तमान कर्मचारियों पर कार्य का अधिक बोझ है, जिनसे उनका कार्य निष्पादन लक्ष्य की प्राप्ति असंभव हो जाती है तथा उनके सामर्थ्य से बाहर हो जाती है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार की ई.पी.एफ.ओ. के सुचारू रूप से संचालन हेतु और कर्मचारियों की नियुक्ति करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की संवर्ग पुनर्संरचना के परिणामस्वरूप, ईपीएफओ के 135 क्षेत्रीय कार्यालय और 117 जिला कार्यालय हैं।

ईपीएफओ में स्टाफ के कार्य निष्पादन में सुधार करने और कार्यभार को कम करते हुए लक्ष्य प्राप्त करने की दृष्टि से, कम्प्यूटरीकरण परियोजना और प्रक्रियाओं का सरलीकरण यथा दावों को ऑनलाइन प्रस्तुत करना, लेखा पत्रों का ऑटोमेटेड सृजन करना शुरू किया गया है।

(ग) और (घ): ईपीएफओ में अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति एक सतत प्रक्रिया है तथा भर्ती नियमों के अनुसार रिक्तियां भरने हेतु कार्रवाई की जाती है।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1187

बुधवार, 13 फरवरी, 2019 / 24 माघ, 1940 (शक)

कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के अंतर्गत कम्पनियों में काम करने वाले कर्मचारी

1187. डा. अमी यज्ञिक:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विभिन्न कम्पनियों में कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं और कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) का हिस्सा है, तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा ईपीएफ योजना के अंतर्गत अभी तक सूचीबद्ध नहीं की गई कम्पनियों के कर्मचारियों के कल्याण हेतु क्या पहल की गई है; और

(ग) आज तक की स्थिति के अनुसार, ऐसी कम्पनियों की सूची क्या है जिनमें 20 से अधिक कर्मचारी हैं परन्तु वे ईपीएफ में भागीदारी नहीं दे रही हैं और इनके विरूद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): देश में विभिन्न कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों और जो कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रक्रीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत शामिल हैं, उनका राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा अनुबंध में है।

(ख): कर्मचारी भाविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) 20 अथवा उससे अधिक कर्मचारियों वाले सभी कवर किये जाने योग्य प्रतिष्ठानों को अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत करवाने तथा सभी पात्र कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा लाभों का विस्तार सुनिश्चत करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रक्रीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के उपबंधों के अनुरूप नियमित तथा निरंतर आधार पर समन्वित प्रयास करता है।

व्सवसाय करने की आसानी की दिशा में पहलों के भाग के रूप में, पंजीकरण सुविधा को श्रम सुविधा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन पंजीकरण प्रदान करके अधिक सुविधाजनक और प्रकृति में स्व-अनुपालनकारी बनाया गया है जिससे प्रतिष्ठानों को अपने कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा

लाभ विस्तारित करने हेतु ईपीएफओ में स्वयं को सक्रिय रूप से तथा स्वेच्छा से पंजीकृत कराने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है।

इसके अलावा, भारत सरकर ने 09.08.2016 से पीएमआरपीवाई का शुभारंभ किया है जो नियोक्ताओं के लिए नए कर्मचारियों को रोजगार प्रदान करने तथा इस प्रक्रिया में अनौपचारिक रोजगार को औपचारिक बनाने हेतु एक प्रोत्साहन योजना है। इस योजना के अंतर्गत, भारत सरकार कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रक्रीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत ऐसे कर्मचारियों के संबंध में, जो अन्यथा योजना की शर्तों के अनुसार पात्र है, किसी ईपीएफओ पंजीकृत प्रतिष्ठान में 01.04.2016 को अथवा उसके बाद शामिल हुए हैं जिनके यूनिवर्सल एकॉट नम्बर (यूएएन) बाद में सृजित हैं तथा आधार से जुड़े हैं, उनके शामिल होने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए नियोक्ताओं द्वारा देय, नियोक्ता का पूर्ण हिस्सा अर्थात 12 प्रतिशत कर्मचारी पेंशन योजना और कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएस+ईपीएफ) वहन करती है।

(ग): कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रक्रीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के उपबंधों के अनुसार, जब प्रतिष्ठान में कर्मचारी संख्या 20 अथवा उससे अधिक हो जाए तो अपने प्रतिष्ठान को अधिनियम की धारा 1(3) के अंतर्गत श्रम सुविधा पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से ईपीएफओ में अनिवार्यत: पंजीकृत करवाना नियोक्ता का कर्तव्य है।

तथापि, अधिनियम की धारा 1(4) के अंतर्गत एक उपबंध भी है, जिससे 20 से कम कर्मचारी संख्या वाला कोई प्रतिष्ठान स्वेच्छा से पंजीकरण करवा सकता है।

20 अथवा उससे अधिक कर्मचारियों वाले परन्तु ईपीएफओ में पंजीकृत नहीं होने वाले तथा अनुपालन नहीं करने वाले प्रतिष्ठानों के संबंध में, क्षेत्र अधिकारियों द्वारा नियमित सर्वेक्षण किए जाते हैं जो तदनुसार ऐसे प्रतिष्ठानों को पंजीकृत करने तथा अनुपालना सुनिश्चित करने के प्रयास करते हैं। ऐसे कोई प्रतिष्ठान जो ध्यान में आते हैं, उन्हें कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रक्रीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत शामिल करने हेतु अपेक्षित कार्रवाई की जाती है।

* *****

अनुबंध

"कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के अंतर्गत कम्पनियों में काम करने वाले कर्मचारी" के संबंध में डा. अमी यज्ञिक द्वारा पूछे गए दिनांक 13.02.2019 को उत्तर के लिए नियत राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1187 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ईपीएफ अंशदान करने वाले सदस्य (जनवरी, 2019 माह के संबंध में)	
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**अंशदान करने वाले सदस्य**
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	15806
आंध्र प्रदेश	1212229
अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिज़ोरम और नागालैंड सहित असम	322758
बिहार	458394
चंडीगढ़	432759
छत्तीसगढ	496331
दिल्ली	2946395
गोवा	199195
दादरा और नागर हवेली तथा दमन एवं दीव सहित गुजरात	3173484
हरियाणा	2481190
हिमाचल प्रदेश	332197
झारखंड	544886
कर्नाटक	5660630
लक्षद्वीप सहित केरल	1262697
मध्य प्रदेश	1182376
महाराष्ट्र	9840962
मेघालय	44115
ओडिशा	898162
पुडुचेरी	125516
पंजाब	778097
राजस्थान	1183926
तमिलनाडु	5275604
तेलंगाना	2923344
त्रिपुरा	34431
उत्तर प्रदेश	2315469
उत्तराखंड	581758
सिक्किम सहित पश्चिम बंगाल	3026492
कुल	**47749203**

*****